प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 20.01.2021 जनपद देवरिया

01.एसओजी टीम एवं थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा गैंगेस्टर ऐक्ट में वांछित 25 हजार रू0 इनामिया अभियुक्त की गिरफ्तारी।

पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक–20.01.2021 को थानाध्यक्ष रामपुर कारखाना एवं एसओजी टीम देवरिया द्वारा मय पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम भीमपुर तिराहा के पास से अभियुक्त मो0 नासिर पुत्र मो0 अब्बास निवासी–इन्दरा नगर थाना–कोतवाली जनपद–देवरिया को गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0–777/2017 धारा–धारा–3(1) गैंगेस्टर ऐक्ट में वर्ष 2017 से वांछित चल रहा था, जो थाना कोतवाली का 25000रू0 इनामिया अभियुक्त था। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02.कच्ची शराब के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही, ईंट भठ्ठे से 260 लीटर कच्ची शराब बरामद, सैकड़ों कुन्तल लहन नष्ट, 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.01.2021 को थानाध्यक्ष रामपुर कारखाना मय पुलिस टीम द्वारा थाना रामपुर कारखाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गौतम चक मठिया स्थित ईंट भठ्ठे पर दबिश देते हुए मौके से कुल 260 लीटर कच्ची शराब एवं 150 कुन्तल लहन नष्ट किया गया तथा 04 अभियुक्त 01.हरिकेश चौरसिया पुत्र स्व0 रामदेव चौरसिया नोनिया छापर कोतवाली 02.रामउरांव पुत्र लाला उरांव नि0–सिसई जनपद गुमला झारखण्ड 03.निर्मला मुण्डा पुत्री स्व0 सोमरा मुण्डा नि0–कुडमु थाना–लोहरदंगा झारखण्ड 04.हीरामोती पत्नी नेहरू मुण्डा नि0–पुसो थाना–सिसई जनपद गुमला झारखण्ड को गिरफ्तार करते हुए, उक्त अभियुक्तों के साथ ईंट भठ्ठा मालिक पंकज राव पुत्र अज्ञात के विरूद्ध भी अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।